


268

392

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वा लियर. कैम्प रीवा म० प्र०

R 2595-I/12



R-2595-I/12

वीरेन्द्र सिंह तनय श्री ललन सिंह निवासी ग्राम तुर्की तहसील अमरपाटन

हाल रामनगर जिला सतना म० प्र०

--- आवेदक

बनाम

1. सूर्यपाल सिंह तनय उपेन्द्र पाल सिंह निवासी ग्राम तुर्की तहसील  
रामनगर जिला सतना म० प्र०

2. मध्य प्रदेश शासन

--- आवेदकगण

अधिवक्ता श्री अमिताभ  
चकुर्वी द्वारा प्रस्तुत  
रीवा.वि. 25-07-2012

25/7/12

निगरानी विरुद्ध आजा श्री तहसीलदार तहसील  
रामनगर जिला सतना म० प्र० बाबत रामनगर  
प्रकरण क्रमांक 98/12/2011-2012 आदेश दिनांक  
20.6.2012

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-  
राजस्व संहिता 1959 से

मान्यवर,

अन्वय के अतिरिक्त निगरानी के आधार निम्न लिखित है:-

- 11 यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है।
- 12 यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने मौके के विपरीत किए गये सीमांकन की

निरन्तर 2 पर


268

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 2585-1712 जिला सहना

वीरेश सिंह विरुद्ध सूर्यपाल सिंह

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>आमताब चन्देदी</u> अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील <u>रामगाट (सहना)</u> के प्रकरण क्रमांक <u>09/अ.12/11-12</u> में पारित आदेश दिनांक <u>25-6-12</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>सहना</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>5-3-19</u> को कलेक्टर <u>सहना</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

§1 § यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है।  
§2 § यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने मामले के विपरीत किस गये सीमांकन की

वीरेश सिंह